23/7/14

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

[INCOME TAX]

S.O..... (E) — In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that where the variation between the arm's length price determined under section 92C and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed one percent, of the latter in respect of wholesale trading and three percent. of the latter in all other cases, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price for assessment 2014-15.

Explanation. For the purposes of this notification, "wholesale trading" means an international transaction or specified domestic transaction of trading in goods, which fulfils the following conditions, namely:-

- (i) purchase cost of finished goods is eighty percent. or more of the total cost pertaining to such trading activities; and
- (ii) average monthly closing inventory of such goods is ten percent. or less of sales pertaining to such trading activities.

[Notification No. 45/2014/F. No. 500/1/2014-APA-II]

Gáurav Sharma)

Under Secretary to the Government of India

sieto

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2014

(आय-कर)

का.आ. (अ).- केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि जहां धारा 92ग के अधीन अवधारित आसिन्नकट कीमत और ऐसी कीमत के, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिदिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, बीच अंतर थोक व्यापार की बाबत बाद वाली कीमत के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और सभी अन्य मामलों में बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसी कीमत को जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिदिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आसिन्नकट कीमत समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "थोक व्यापार" से ऐसे माल के व्यापार का ऐसा अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निदिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

- (i) तैयार माल की क्रय लागत ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है : और
- (ii) ऐसे माल की औसत मासिक संवरण सूची ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित विक्रय का दस प्रतिशत या उससे कम की है।

(अधिसूचना सं0 45/2014/फा0सं0 500/1/2014-एपीए-।।)

्रारिव (गौरव शर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार